

प्रसार भारती  
भारत का लोक सेवा प्रसारक  
प्रसार भारती सचिवालय  
द्वितीय तल, पीटीआई भवन, संसद मार्ग  
नई दिल्ली.

क्रमांक:विविध1/205/2013-पीपीसी

दिनांक-6.1.14

विषय:-वरिष्ठता के क्रम में पदों के प्रतिशत के अनुसार अपग्रेडेड वेतनमान के साथ एमएसीपी, हेल्पर, डीजल इंजन ड्राइवर, मास्ट तक. व डीजल तक. ग्रेड में- के संदर्भ।

1. महानिदेशक: आकाशवाणी पत्रांक सं 14/28/2012-एस  
-4/ए475 दिनांक 11.10.2013 द्वारा यह पूछा गया कि जो अधिकारीगण उपरोक्त पदों पर कार्यरत हैं तथा वरिष्ठता के क्रम में पदों के प्रतिशत के अनुसार अपग्रेडेड वेतनमान के साथ एमएसीपी, हेल्पर, डीजल इंजन ड्राइवर, मास्ट तक. ग्रेड में सूचना प्रसारण मंत्रालय के आदेश सं ओएम सं310/173/97-बी-डी दिनांक 25.02.99 के अनुसार एमएसीपी स्कीम का लाभ देने के लिए योग्य हैं या नहीं।

2. ये मामला प्रसार भारती सचिवालय में वित्त शाखा से विचार विमर्श के बाद देखा गया है। वर्तमान अपग्रेडेड वेतनमान सूचना प्रसारण मंत्रालय के आदेश सं ओएम सं310/173/97-बी-डी दिनांक 25.02.99 के अनुसार वरिष्ठता और रिक्तियों पर आधारित है चूंकि यह रिक्तियों पर आधारित है इसलिए यह समयबद्ध स्कीम नहीं है इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यह योजना एमएसीपी के साथ नहीं चल सकती।  
3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

उपनिदेशक प्रशासन-अभियांत्रिकी  
महानिदेशक: आकाशवाणी  
कार्मिक

नवीन कुमार  
उपनिदेशक

आकाशवाणी भवन  
दूरभाष-23351347  
नई दिल्ली.

प्रतिलिपि प्रेषित-उपमहानिदेशक-तक., प्रसार भारती सचिवालय को  
प्रसार भारती वेबसाइट पर प्रसार करने के निवेदन के साथ।